

मुन्ती (राज.)

राज्यीय सेवा शिफ्ट 2025 अभियान

राजस्थान-सरकार
वायव्य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला मुन्ती (राज.)
(दिनांक 30.10.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. :- 454/2025

GCNDR NO:- 2025/.....

किसम मुकदमा :- 136 LR Act.

जनवतन :- हवासिंह बनाम राज0 सरकार

-आदेश-

दिनांक :- 30.10.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी कला मुन्ती के आधार पर, राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि)	आदेश (शुद्धप्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मुन्ती	14, 83, 85, 103	हवासिंह पुत्र मोतीराम रामनिवास पुत्र मोतीराम रामकला पुत्री मोतीराम ममता पुत्री मोतीराम	हवासिंह पुत्र मोतीलाल रामनिवास पुत्र मोतीलाल रामकला पुत्री मोतीलाल ममता पुत्री मोतीलाल



राजस्व / 2025 / 220
प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. संबंधित श्री हवासिंह पुत्र मोतीलाल जाति अहीर निवासी मुन्ती तहसील बुहाना जिला मुन्ती राज0 को सूचनार्थ।

456
(किसम मुकदमा)
वायव्य उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

दिनांक:- 30/10/25

456
(किसम मुकदमा)
वायव्य उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

